प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला चौकी ए.सी.बी., भीलवाडा– प्रथम, थाना सी.पी.एस., ए.सी.बी., जयपुर वर्ष–2023
प्र. ई. रि. स. 163/2023 दिनांक 27/6/2023

(अ) अधिनियम. भ्र. नि. अधिनियम धाराये :– 7 पी.सी. एक्ट 1988(यथा संशोधित 2018)एवं 120 बी भा.द.स.

(ब) अधिनियम..... ..... धारायें .....

(स) अधिनियम ..... धारायें.....

(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या 452 समय 7:00

(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक :–गूरूवार दिनांक 13.04.2023 समय करीब 12.35 पी.एम.

(स) थाना/चौकी पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 13.04.2023 समय –10:15ए.एम.

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – स्वयं की हस्तलिखित

5. घटनास्थल :–

(अ) पुलिस चौकी से दिशा व दूरी – दक्षिण बफासला करीब 5 कि.मी.

(ब) पता – पुलिस थाना–सिटी कोतवाली जिला–भीलवाडा

बीट संख्या .....जरायमदेही सं.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना.....जिला.....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम – श्री सजंय सोनी

(ब) पिता का नाम.... श्री बालमुकमन्द सोनी

(स) जन्म तिथि /वर्ष :– 35 वर्ष

(द) राष्ट्रीयता..... भारतीय

(य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी.....

जारी होने की जगह.....

(र) व्यवसायः–व्यापारी

(ल) पता :– निवासी–सी–32, संजय कॉलोनी पुलिस थाना–सूभाषनगर हाल राजनन्दनी ज्वैर्लस,कसारा बाजार पुरानी धान मंडी , जिला–भीलवाडा

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1. **श्री शंकर लाल तेली पुत्र श्री मोहन लाल तेली उम्र–45 साल, निवासी चावडिया पोस्ट बन का खेडा , पुलिस थाना–बडलियास जिला–भीलवाडा हाल हैडकानि 120, पुलिस थाना–सिटी कोतवाली, जिला–भीलवाडा।**
2. **श्री प्रदीप कूमार ओझा पुत्र श्री नारायण लाल तेली उम्र–45 साल, निवासी मकान नं. ए–512 सजंय कॉलोनी, पुलिस थाना–सुभाषनगर जिला–भीलवाडा हाल कानि 1485, पुलिस थाना–सिटी कोतवाली, जिला–भीलवाडा।**

8. परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :– कोई नही ...चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें)

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा/यू.डी. केस सख्या .....(अगर हो तो)

10. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट – (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

महोदय जी,

वाक्यात मामला इस प्रकार निवेदन है कि दिनांक 13.04.2023 समय 10.15 ए.एम.पर परिवादी श्री संजय पुत्र श्री बालमुकन्द सोनी निवासी सी – 32 संजय कोलोनी भीलवाडा ने मन पुलिस निरीक्षक को एक प्रार्थना पत्र श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी भीलवाडा को सम्बोधित करते हुये इस आशय का पेश किया कि "मैं कसारा बाजार पुरानी धानमंडी राज नन्दनी ज्वैलर्स पर सोने चांदी का काम करता हूँ कल दिनांक 12–04–2023 को शाम करीब 6 बजे तेजाजी चौक की तरफ घुमने गया था उस समय कोतवाली थाने के हैड कानिस्टेबल शंकरलाल व कानिस्टेबल प्रदीप ओझा आये और मुझे उठाकर कोतवाली थाने ले गये और करीब तीन घंटे तक मुझे बैठाकर रखा और कहा कि रतन लाल गाडरी को गांजे बेचने के केस में गिरफ्तार किया है। तु दस हजार रूपये नही देगा तो तुझे भी रतन लाल के साथ गांजे के केस मे फंसा देंगे। मैने कहा कि मै कल या परसो तक रूपये की व्यवस्था करके लाता हूँ इस पर मेरे को छोड दिया। मै ऐसे भ्रष्ट पुलिस वालो को रिश्वत नही देना चाहता हूँ रिश्वत लेते हुये रंगो हाथ पकडवाना चाहता हूँ मेरे व उक्त पुलिस वालो के बीच किसी तरह की रंजिश व उधार का लेने देन नही है। कानूनी कार्यवाही करावे। मजमून रिपोर्ट से मामला रिश्वत राशी लेनदेन का पाया जाता है। अतः विभागीय प्रक्रियानुसार रिश्वत मांग सत्यापन करवाया जाकर तदानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। इस क्रम में मन पुलिस निरीक्षक कार्यालय में उपस्थित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व परिवादी को साथ लेकर उपस्थित हुआ जिस पर श्रीमान ने परिवादी से दरयाप्त कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पृष्ठांकन कर अग्रिम कार्यवाही करने के आदेश प्रदान किये। जिस पर समय 12.12 पी.ए.पर पर मन पुलिस निरीक्षक नें कार्यालय हाजा में उपस्थित श्री पवन कानि 417 से कार्यालय हाजा के मालखाने से डिजिटल वॉइस रिकार्डर मय नये मैमोरी कार्ड मंगवाया गया। परिवादी श्री संजय सोनी व श्री पवन कानि का आपस में परिचय करवाया इसके उपरांत परिवादी श्री संजय सोनी को डिजिटल वॉइस रिकार्डर चालू व बन्द करने की समझाईश की गई ओर समय 12.20 पी.एम. पर कानिस्टेबल पवन कुमार को परिवादी के साथ जाकर रिश्वत राशी मांग का सत्यापन करवाने के निर्देश दिये। श्री पवन कुमार कानि व परिवादी श्री संजय सोनी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु मय डिजिटल वॉइस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सिपुर्द कर आवश्यक गोपनीयता बरतने की हिदायत कर पुलिस थाना कोतवाली के लिए रवाना किया गया। समय 01.05 पी.एम. पर श्री पवन कानि. व परिवादी श्री संजय सोनी मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर के कार्यालय में उपस्थित आये तथा डिजिटल टेप रिकॉर्डर पेश करते हुए श्री पवन कानि ने बताया कि रवाना होकर थाना कोतवाली के पास सिंधुनगर वाली गली पहुंचे जहां मैने डिजिटल टेप रिकार्डर चालू करके परिवादी श्री संजय सोनी को सिपुर्द कर कोतवाली के लिये रवाना किया थोडी देर बाद आकर परिवादी ने चालू हालत में डिजिटल वॉइस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के लाकर दिया जिसको मैने बन्द किया। परिवादी से पूछने पर बताया कि शंकर लाल जी हैड कानिस्टेबल कोतवाली में नही मिले, मेरी रिश्वत मांग सम्बंधी वार्ता कानिस्टेबल प्रदीप ओझा से हुई है, जो डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड है। संदिग्ध आरोपी नें मुझ से 12 हजार रूपये की मांग की है और लेकर जल्दी बुलाया है। जिस पर मैं परिवादी को साथ लेकर मय डिजिटल वॉइस रिकार्डर कार्यालय हाजा में उपस्थित आया हूँ। जिसकी ताईद परिवादी ने की। डिजिटल वॉइस रिकार्डर को चालू कर सुना गया तो रिश्वत राशी मांग सत्यापन होना पाया गया। जिसकी फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट पृथक से मुर्तिब की जायेगी। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय में उपस्थित

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष परिवादी को साथ लेकर रिश्वत राशी मांग सत्यापन के हालात अर्ज किये। श्रीमान द्वारा परिवादी से दरयाप्त कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने के आदेश प्रदान किये। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान की तलबी किया जाना आवश्यक होने से ब्यूरो कार्यालय के पत्रांक 429 दिनांक 13.04.2023 से अधीक्षण अभियंता जल संसाधन वृत भीलवाडा से दो स्वतन्त्र गवाह पाबन्द कर लाने हेतु कार्यालय में पदस्थापित श्री श्रवण कुमार हैड कानि को रवाना किया गया। इस पर समय करीब समय 02.30 पी.एम.पर श्री श्रवण कुमार हैड कानि स्वतंत्र गवाहान श्री माधुलाल पुत्र श्री छोगा लाल बलाई सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री रतन लाल गुर्जर कनिष्ठ सहायक कार्यालय अधिक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग भीलवाडा उपस्थित आये जिनका परिवादी श्री संजय सोनी का परिचय आपस में कराया जाकर परिवादी संजय सोनी की रिपोर्ट को पढाया गया, उक्त रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये एवं डिजिटल वॉइस रिकार्डर को चालू कर मेमोरी कार्ड में रिकार्ड रिश्वत राशी मांग सत्यापन वार्ता को सुनाई गई। जिस पर दोनो गवाहान नें रिश्वत राशी मांग सत्यापन होना जाहिर किया। दोनो स्वतंत्र गवाहान को मन् पुलिस निरीक्षक ने उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान के रूप मे उपस्थित रहने हेतु कहने पर दोनो ने अपनी–अपनी मौखिक सहमति प्रदान की। इसके उपरांत समय 04.00 पी.एम.पर उपरोक्त गवाहान के समक्ष मन् निरीक्षक पुलिस नरसी लाल मीणा द्वारा परिवादी श्री संजय सोनी को रिश्वत में दी जानी वाली राशि पेश करने की कहने पर परिवादी ने अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के 500–500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000 रूपये प्रस्तुत किये जिनके के नम्बर फर्द में अंकित करवाये जाकर श्री देवीलाल जंगलिया, सहायक प्रशासनिक अधिकारी से उपरोक्त नोटों के दोनों ओर फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री संजय सोनी की जामा तलाषी गवाह श्री माधुलाल बलाई से लिवाई जाकर कोई वस्तु नहीं छोड़ते हुए पाउडर लगे नोटों को श्री देवीलाल जंगलिया से परिवादी की पहने हुए पेंट की दाहिनी जेब में रखवाये गये । गवाहान व परिवादी को सोडियम कार्बोनेट व फिनोफ्थेलीन पाउडर का रासायनिक प्रक्रिया दृष्टांत देकर समझाई गई। परिवादी को रिश्वत राशि देने के बाद अपने सिर पर दोनों हाथ फिराकर ईशारा करने की समझाईश की गई। उक्त ईशारा ट्रेप कार्यवाही टीम को समझाया गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट, सोडियम कार्बोनेट व फिनोफ्थेलीन पाउडर मुर्तिब कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। इसके उपरांत जरिये दूरभाष से तलबशुदा श्री प्रेमराज कानि नं. 225, श्री रामेश्वर कानि नं. 250 एसीबी चौकी भीलवाडा द्वितीय से ट्रेप कार्यवाही में ईमदाद हेतु उपस्थित कार्यालय आये। समय 05.00 पी.एम.पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री संजय सोनी को स्वयं स्कूटर से कानिस्टेबल पवन को डीवीआर मय मैमोरी कार्ड के, श्री गजेन्द्र सिंह कानि 205 व श्री प्रेमराज कानि की मोटर साईकिल से, गवाह श्री रतन लाल व श्री रामेश्वर लाल कानि की मोटर साईकिल से, गवाह श्री माधुलाल व श्री दलपत सिंह कनिष्ठ सहायक की मोटर साईकिल से पुलिस थाना कोतवाली जिला भीलवाडा के लिये आगे आगे रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक, श्री रामपाल सउनि, श्री श्रवण कुमार हैड कानि 110 मय लेपटॉप प्रिन्टर आवश्यक लेखन सामग्री के प्राईवेट वाहन से ट्रेप कार्यवाही हेतु पुलिस थाना कोतवाली के लिये रवाना होकर समय करीब 05.15 पी.एम.पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान पुलिस थाना कोतवाली के पास पहुंच वाहनो को साईड में खडे कर श्री पवन कानि से डीवीआर चालू कर परिवादी को सिपुर्द कर आवश्यक हिदायत देकर पुलिस थाना कोतवाली के लिये रवाना किया। मन पुलिस निरीक्षक ट्रेप पार्टी सदस्य कोतवाली के आस पास परिवादी के ईशारे के इंतजार में मुकीम रहे। कुछ समय उपरांत ही परिवादी बिना ईशारा किये हुये कोतवाली से बाहर आकर मन पुलिस निरीक्षक को डीवीआर चालू हालत में सिपुर्द किया जिसे बन्द किया गया व परिवादी ने बताया कि कोतवाली में मुझे शंकर लाल हैड कानिस्टेबल जी मिले जिनसे मैं बातचीत कर रिश्वत राशी देने लगा तो उन्होने कहा कि रहने दे उसको ही देना, प्रदीप कहां है, मैं प्रदीप को बुला लुंगा उसे ही देना। इस पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान संदिग्ध व्यक्ति के फोन के इंतजार में सुरक्षित स्थान पर मुकीम रहे। समय करीब 06.15 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक को परिवादी ने बताया कि मेरे भाई का फोन आया है, मुझे उसने देवरिया बालाजी मन्दिर के पास

मेरी वाटिका पर आकर मिलने के लिए बुलाया है। आप भी मेरे साथ चलो इस पर मन पुलिस निरीक्षक, परिवादी मय हमराहीयान ट्रेप पार्टी के सदस्य अपने अपने वाहनो से देवरिया बालाजी मंदिर के लिये रवाना होकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान देवरिया बालाजी मन्दिर के पास पहुंच परिवादी को आवश्यक हिदायत कर उसके भाई की वाटिका पर मिलने के लिये रवाना किया। मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान, परिवादी के इंतजार में मुकीम रहे। कुछ देर बाद मन पुलिस निरीक्षक को परिवादी ने आकर बताया कि मेरे भाई के पास कानि. प्रदीप ओझा का फोन आया ओर उसने कहा कि उसको देने वाली राशी मुझे दे दे, वह मुझसे आकर ले जायेगा। मैने बहाना बनाकर मेरे भाई को कानि. को रिश्वत में दी जाने वाली राशी नही दी। मेरे पास कानि. प्रदीप का व ए.एस.आई का अब तक फोन नही आया है, मुझे सम्भावना है कि आज मुझे रिश्वत राशी लेने के लिये वह मुझसे नही मिलेंगे। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक, परिवादी मय हमराहीयान ट्रेप पार्टी के सदस्य अपने अपने वाहनो से एसीबी कार्यालय भीलवाडा के लिये रवाना हो समय करीब 07.30 पी.एम.पर मन पुलिस निरीक्षक, परिवादी मय हमराहीयान ट्रेप पार्टी सदस्य उपस्थित कार्यालय आये। समस्त हालात मन पुलिस निरीक्षक ने जरिये मोबाईल श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को अर्ज किये। श्रीमान द्वारा अग्रिम कार्यवाही करने के आदेश प्रदान किये। मन पुलिस निरीक्षक, परिवादी द्वारा बताई गई वार्ता से सहमत हूँ। परिवादी की पेंट की दाहिनी जेब से रिश्वत में दी जाने वाली राशी गवाह श्री माधुलाल से निकलवाई जाकर सफेद कागज में लिपटवाकर रामपाल सउनि से मालखाने में सुरक्षित रखवाई। इसके उपरांत समय 08.00 पी.एम. पर परिवादी व स्वतन्त्र गवाह के समक्ष दिनांक 13.04.2023 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन प्रथम वार्ता के दौरान परिवादी श्री संजय सोनी व संदिग्ध श्री प्रदीप ओझा कानि. के मध्य आमने सामने पुलिस थाना कोतवाली में हुई, जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को श्री पवनकुमार कानि. से कार्यालय हाजा के लेपटॉप से कनेक्ट करा वार्तालाप की चार पेनड्राईव तैयार की गई एवं फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेनड्राईव को लिफाफे में रखकर सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड चिट कर मार्क "ए" अँकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा तीन पेन ड्राईव को अलग अलग कागज के लिफाफे में रखकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 09.00 पी.ए पर समय परिवादी व स्वतन्त्र गवाह के समक्ष दिनांक 13.04.2023 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन द्वितीय वार्ता के दौरान परिवादी श्री संजय सोनी व संदिग्ध श्री शंकर लाल हैड कानि के मध्य आमने सामने पुलिस थाना कोतवाली में हुई, जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को श्री पवनकुमार कानि. से कार्यालय हाजा के लेपटॉप से कनेक्ट करा वार्तालाप की चार पेनड्राईव तैयार की गई एवं फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेनड्राईव को लिफाफे में रखकर सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड चिट कर मार्क "बी" अँकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा तीन पेन ड्राईव को अलग अलग कागज के लिफाफे में रखकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके उपरांत समय करीब 10.00 पी.एम.पर मन पुलिस निरीक्षक नें परिवादी को मुनासिब हिदायत की कि जब भी संदिग्ध व्यक्ति का रूपये लेने से सम्बंधित कॉल आये या आपसे सम्पर्क करे तो तुरंत मन् पुलिस निरीक्षक से जरिये मोबाईल वार्ता कर अवगत कराये। परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत कर प्रातः कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत कर रूखसत किया गया। इसके उपरांत दोनो स्वतंत्र गवाह को गोपनीयता बरतने की हिदायत कर प्रातः कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत कर रूखस्त किया गया। दिनांक 14.04.2023 समय करीब 09.30 ए.एम.पर पाबन्द शुदा गवाह श्री माधुलाल लाल व श्री रतन लाल उपस्थित कार्यालय आये।इसके उपरांत पाबन्द शुदा परिवादी श्री संजय सोनी उपस्थित कार्यालय आया। इसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक ने समय करीब 11.15 ए.एम. पर मालखाना से डीवीआर जिसमें मैमोरी कार्ड लगा है को मंगवाकर चालू कर दोनो गवाहान के समक्ष मन पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर परिवादी ने अपने मोबाईल नम्बर 8949153341 से संदिग्ध प्रदीप ओझा कानि मोबाईल नम्बर 9602906601 पर परिवादी ने अपने मोबाईल का

स्पीकर ऑन कर कॉल कर वार्ता की गई तो संदिग्ध ने बताया कि आज मैं बाहर हूँ, कल तक आऊँगा। उपरोक्त वार्ता को कार्यालय हाजा के डीवीआर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उपरोक्त वार्ता के अनुसार आज ट्रेप कार्यवाही की जाना संभव नही है। इसकी रिर्पोट श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये दूरभाष दी गई। समय 11.35 ए.एम.पर परिवादी व स्वतन्त्र गवाह के समक्ष दिनांक 14.04.2023 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन तृतीय वार्ता के दौरान परिवादी श्री संजय सोनी के मोबाईल नम्बर 8949153341 से व संदिग्ध श्री प्रदीप ओझा कानि के मोबाईल नम्बर 9602906601 पर परिवादी ने अपने मोबाईल का स्पीकर ऑन कर वार्ता की गई उक्त वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को श्री पवनकुमार कानि. से कार्यालय हाजा के लेपटॉप से कनेक्ट करा वार्तालाप की चार पेनड्राईव तैयार की गई एवं फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेनड्राईव को लिफाफे में रखकर सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड चिट कर मार्क "सी" अँकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। तथा तीन पेन ड्राईव को अलग अलग कागज के लिफाफे में रखकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद मन पुलिस निरीक्षक नें परिवादी को मुनासिब हिदायत की कि जब भी संदिग्ध व्यक्ति का रूपये लेने से सम्बंधित कॉल आये या आपसे सम्पर्क करे तो तुरंत मन पुलिस निरीक्षक से जरिये मोबाईल वार्ता कर अवगत कराये। परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रूखस्त किया गया। इसके उपरांत दोनो स्वतन्त्र गवाहान को गोपनीयता की हिदायत कर रूखस्त किया गया और हिदायत की कि जब भी कॉल करे तो कार्यालय पर उपस्थित आये। दिनांक 15.04.2023 समय 02.30 पी.एम.पर मन पुलिस निरीक्षक को परिवादी ने जरिये दूरभाष बताया कि संदिग्ध प्रदीप ओझा कानि. ने उसके मोबाईल नम्बर 9602906601 से मेरे मोबाईल नम्बर 8949153341 पर कॉल कर कहा कि थाने पर आजा, इस पर मैने उसको कहा कि मैं आज काम से कही बाहर गया हुआ हूँ आते ही आपको कॉल कर दूंगा। इस पर परिवादी को निर्देश दिये कि जब भी आप बाहर से आ जाओ तो कार्यालय में आकर सम्पर्क करे जिस पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जा सके। दिनांक 17.04.2023 समय 10.15 ए.एम.पर पाबन्द शुदा गवाह श्री माधुलाल लाल व श्री रतन लाल उपस्थित कार्यालय आये परीवादी श्री संजय सोनी समय 01.00 पी.एम. पर कार्यालय में उपस्थित आया। गवाहान के समक्ष मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि दिनांक 15.04.2023 को करीब 2 बजकर 14 मिनट पर संदिग्ध प्रदीप ओझा कानि. ने उसके मोबाईल नम्बर 9602906601 से मेरे मोबाईल नम्बर 8949153341 पर कॉल कर कहा कि थाने पर आजा, इस पर मैने उसको कहा कि मैं आज काम से कही बाहर गया हुआ हूँ आते ही आपको कॉल कर दूंगा। परिवादी ने बताया कि आज प्रदीप ओझा कानि. कोतवाली में उपस्थित मिल सकता है, मै ट्रेप कार्यवाही करवा देता हूँ। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने गवाहान के समक्ष मालखाना इंचार्ज रामपाल सउनि से कार्यवाही से सम्बंधित दिनांक 14.04.2023 को मालखाना मे रखवायी रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10 हजार रूपये निकवाकर परिवादी की पेंट की दाहिनी जेब की तलाशी गवाह माधुलाल से लिवायी जाकर कुछ शैः नही छोडते हुए परिवादी की पेंट की दाहिनी जेब में उक्त राशि रामपाल सउनि से रखवायी गयी। श्री रामपाल सउनि के हाथ साफ पानी, साबुन से धुलवाये गये। इसके उपरांत समय 01.10 पी.एम.पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री संजय सोनी को व कानिस्टेबल पवन को डीवीआर मय मैमोरी कार्ड के स्कूटर से, श्री गजेन्द्र सिंह कानि 205 व श्री प्रेमराज कानि को मोटर साईकिल से, श्री रामेश्वर लाल कानि व गवाह श्री रतन लाल को मोटर साईकिल से, श्री दलपत सिंह कनिष्ठ सहायक व गवाह श्री माधुलाल को पुलिस थांना कोतवाली जिला भीलवाडा के आगे आगे रवाना कर मन पुलिस निरीक्षक, श्री रामपाल सउनि,श्री श्रवण कुमार हैड कानि 110 मय लेपटॉप प्रिन्टर आवश्यक लेखन सामग्री के प्राईवेट वाहन से ट्रेप कार्यवाही हेतु पुलिस थाना कोतवाली के लिये रवाना हो समय 01.30 पी.एम.पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान पुलिस थाना कोतवाली के पास पहुंच वाहनो को साईड में खडे कर श्री पवन कानि से डीवीआर चालू कर परिवादी को सिपुर्द कर आवश्यक हिदायत देकर पुलिस थाना कोतवाली के लिये रवाना किया। मन पुलिस निरीक्षक ट्रेप पार्टी सदस्य कोतवाली के आस पास परिवादी के ईशारे के इंतजार में मुकीम रहे। समय 01.35 पी.एम.पर परिवादी ने

बिना ईशारा किये हुये कोतवाली से बाहर आकर मन पुलिस निरीक्षक को डीवीआर चालू हालत में सिपुर्द किया जिसे बन्द किया गया व परिवादी ने बताया कि कोतवाली में मुझे शंकर लाल हैड कानिस्टेबल व प्रदीप ओझा कानि. उपस्थित नही मिले, वर्दी में खडे व्यक्ति से पूछने पर मुझे बताया कि दोनो बाहर गये हुये है। मैने रिश्वत राशि किसी को नही दी, मेरी जेब में रखी हुयी है। जिस पर परिवादी को मन पुलिस निरीक्षक ने निर्देश दिये कि शंकर लाल हैड कानि व प्रदीप ओझा कानि के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर लोकेशन की मालूमात करे, कॉल करने पर दोनो के मोबाईल स्विच ऑफ बताया। संदिग्ध आरोपीगणों से सम्पर्क होने पर ट्रेप कार्यवाही को अजांम दिया जायेगा । थाने के आस–पास रहने से गोपनीयता भंग होने की सम्भांवना को देखते हुए मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान अपने अपने वाहनो से एसीबी कार्यालय में मन पुलिस निरीक्षक, परिवादी मय हमराहीयान ट्रेप पार्टी सदस्य उपस्थित कार्यालय आये। इसके उपरांत समय 02.15 पी.एम.पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी की पेंट की दाहिनी जेब से रिश्वत में दी जाने वाली राशी गवाह श्री माधुलाल से निकलवाई जाकर सफेद कागज में लिपटवाकर रामपाल सउनि से मालखाने में सुरक्षित रखवाई। इसके बाद मन पुलिस निरीक्षक ने जरिये मोबाईल श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को हालात अर्ज किये। इसके उपरांत मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को मुनासिब हिदायत की कि जब भी संदिग्ध व्यक्ति का रूपये लेने से सम्बंधित कॉल आये या आपसे सम्पर्क करे तो तुरंत मन पुलिस निरीक्षक से जरिये मोबाईल वार्ता कर अवगत कराये तथा कार्यालय में उपस्थित होवे। परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रूखस्त किया गया। समय 02.45 पी.एम. पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान को गोपनीयता की हिदायत कर रूखस्त किया गया और हिदायत की कि जब भी कॉल करे तो कार्यालय पर उपस्थित आये।कानि0 प्रेमराज व कानि रामेश्वर लाल को एसीबी कार्यालय द्वितीय के लिये गोपनीयता की हिदायत कर रवाना किया गया । दिनांक 20.04.2023 समय 04:30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री संजय सोनी से जरिए दुरभाष संपर्क कर कार्यालय में उपस्थित आने के लिए कहा तो उसने बताया कि आज मैं बाहर गया हुआ हूँ।। मैं कल दिनाक 21.04. 2023 को प्रातः 11:00 बजे तक कार्यालय में आ जाउंगा। परिवादी के उपस्थित आने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 21.04.2023 समय 1.25 पी.एम.पर पाबंदशुदा दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री माधूलाल व श्री रतन लाल कार्यालय एसीबी भीलवाड़ा प्रथम पर उपस्थित आए। इसके उपरांत परिवादी श्री संजय सोनी कार्यालय में उपस्थित आया। इसके उपरांत समय 2.25 पी.एम. पर मन् पु0नि0 ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री संजय सोनी ने बताया कि कार्यालय में आने से पहले मैं दो–तीन बार पुलिस थाना कोतवाली में जाकर संदिग्ध शंकर लाल हैड कानि0 व प्रदीप ओझा कानिस्टेबल के बारे में गोपनीय जानकारी की तो कोतवाली में नही मिले। हर बार थानें वालों ने बताया कि वे दोनों बाहर गये हुए है। आज सुबह भी मैं थाना कोतवाली में गया तो वे दोनों वहां नही मिले। इसके बाद मेरे भाई ने आज मुझे बताया कि जिस केस में तुझे कोतवाली में पूछताछ के लिए ले गए थे उस केस की कार्यवाही हो चुकी है,अब तूझे उनको रूपये देने की आवश्यकता नही है, इसलिए अब मुझे यकिन हो गया कि वे दोनों अपनी मांग के अनुसार रिश्वत राशि नहीं लेंगे। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को दोनों संदिग्धों को मोबाईल से उनके नम्बरों पर कॉल करने की कहने पर परिवादी द्वारा दोनों के मोबाईल पर कॉल किया गया किन्तु दोनों के मोबाईल स्वीच ऑफ होना पाया गया। इस पर परिवादी ने बताया कि अभी तक की गई कार्यवाही में जो भी अपराध बनता है उसकी कानूनी कार्यवाही करावे। इसके उपरांत परिवादी ने एक लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ब्यूरो कार्यालय में रखी गई रिश्वत राशि 10,000 रू0 लौटाने हेतु निवेदन किया। परिवादी द्वारा अवगत कराये जाने के फलस्वरूप अब श्री शंकर लाल हैड कानिस्टेबल व श्री प्रदीप ओझा कानिस्टेबल पुलिस थाना कोतवाली जिला भीलवाड़ा के विरूद्व अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है। अतः गवाहान एवं परिवादी के समक्ष अग्रिम कार्यववाही प्रारम्भ की गई। दिनांक 21.04.2023 समय 3:15 पी.एम.पर परिवादी श्री संजय सोनी व संदिग्ध श्री प्रदीप ओझा कानि0 के मध्य दिनांक 13.04.2023 व परिवादी श्री संजय सोनी व संदिग्ध श्री शंकर लाल हैड कानिस्टेबल के मध्य दिनांक 13–04–2023 को रिश्वती राशि लेनदेन से पूर्व के मांग सत्यापन के दौरान हुई द्वितीय वार्तालाप एवं दिनांक 14.04.

2023 को परिवादी के मोबाईल नम्बर 8949153341 से आरोपी श्री प्रदीप ओझा कानि. पुलिस थाना कोतवाली जिला भीलवाडा के मोबाईल नम्बर 9602906601 की वार्ता को जो ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हुई। उक्त मेमोरी कार्ड को डिजिटल टेप रिकॉर्डर में से निकलवाया जाकर मूल ही मेमोरी कार्ड 32 जी.बी. जिस पर सनडिस्क लिखा हुआ है, को जरिये फर्द वजह सबूत नियमानुसार जब्त किया जाकर सफेद कपड़े की थैली में रखकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कर शील्ड मोहर किया जाकर मार्क M अँकित किया गया। दिनांक 21.04.2023 समय 3.45 पी.एम. -- इस समय स्वतन्त्र गवाह परिवादी के समक्ष उक्त ट्रेप कार्यवाही के दौरान उपयोग में ली गयी ब्रास शील को बाद सम्पूर्ण कार्यवाही के फारिक हो कार्यालय के बाहर तुड़वाकर नष्ट की गई जिसकी पृथक से फर्द मुर्तिब कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके उपरांत स्वतंत्र गवाहान के समक्ष कार्यालय के मालखाना से परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिश्वत राशि 10,000 रू0 निकलवाकर उक्त राशि के फिनोल्फथलीन पाउडर लगा होने से बदलवाकर परिवादी संजय सोनी को लौटाकर रसीद प्राप्त की गई। इसके बाद दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर कार्यालय से रूखसत किया गया।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपीगण श्री शंकर लाल हैड़ कानि. पुलिस थाना कोतवली जिला भीलवाड़ा व श्री प्रदीप ओझा कानि. पुलिस थाना कोतवाली भीलवाड़ा एक लोक सेवक होते हुए परिवादी श्री संजय सोनी को पुलिस थाना कोतवाली में उठाकर ले जाना एवं वहां बैठाकर रखना एवं गांजा के केस में नही फंसाने की एवज में दस हजार रूपये की मांग करना रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता से स्पष्ट है। मांग सत्यापन के उपरान्त ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया परन्तु आरोपीगणों को परिवादी पर शंका होने से ट्रेप कार्यवाही पूर्ण नही की जा सकी। इस प्रकार आरोपीगणों द्वारा परिवादी से हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता अनुसार रिश्वत राशि मांग करना स्पष्ट होने से आरोपीगण श्री शंकरलाल हैड कानि. व श्री प्रदीप औझा कानि. पुलिस थाना कोतवाली भीलवाड़ा द्वारा अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120 बी भा.द.स. का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टिया पाया जाता है।

रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता प्रथम दिनांक 13.04.2023 में परिवादी, पवन नाम के व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, पवन की भूमिका की जांच अपेक्षित है जो अनुसंधान से स्पष्ट होगी।

अतः आरोपी श्री शंकर लाल तेली पुत्र श्री मोहन लाल तेली उम्र–45 साल, निवासी चावडिया पोस्ट बन का खेडा , पुलिस थाना–बडलियास जिला–भीलवाडा हाल हैडकानि 120, पुलिस थाना–सिटी कोतवाली, जिला–भीलवाडा व श्री प्रदीप कूमार ओझा पुत्र श्री नारायण लाल तेली उम्र–45 साल, निवासी मकान नं. ए–512 सजंय कॉलोनी,पुलिस थाना–सुभाषनगर जिला–भीलवाडा हाल कानि 1485, पुलिस थाना–सिटी कोतवाली, जिला–भीलवाडा के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते कमांकन श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित हैं।

भवदीय,

(नरसी लाल)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
भीलवाडा–प्रथम।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरसी लाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा-प्रथम ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्तगण 1. श्री शंकर लाल तेली पुत्र श्री मोहन लाल तेली, हैड कानि. नम्बर 120, पुलिस थाना-सिटी कोतवाली, जिला भीलवाड़ा एवं 2. श्री प्रदीप कुमार ओझा पुत्र श्री नारायण लाल, कानि. नम्बर 1485, पुलिस थाना-सिटी कोतवाली, जिला-भीलवाड़ा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध सख्या 163/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

27.6.23

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 1226-29 दिनांक 27.6.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भीलवाड़ा।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
3. पुलिस अधीक्षक जिला भीलवाड़ा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा-प्रथम।

27.6.23

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।